


श्री



श्री

श्री

रामलाल

राज्य लोक सेवा आयोग के दोनों पक्षों के
 शून्यवाद हेतु नोटिस जारी करने के बाद
 पत्रावली आज राज्य लोक सेवा आयोग
 आर्टल सेवा के ग्रुप वनेन पर
 प्रस्तुत हुई। वादीगण व प्रतिवादी
 नं। उपस्थित। प्रतिवादी नं। ने इस्तफा
 करने से मना किया। दोनों पक्षों को
 शून्य गणना। वादग्रस्त अराजी प्रतिवादीगण
 के तहत गैर खर्चे दारी के अन्तर्गत वादीगण
 ने इस्तफा पत्रावली के आधार पर दवा
 प्रस्तुत किया। वादीगण को मजमें आम
 समझाया गया कि वह न्याये में शायद
 निरस्त करके हेतु कर्षण नियम अन्वय
 (शिकायत अन्वय) के बाद राष्ट्र कर
 शकता है। इस वाद के द्वारा वादीगण
 किसी प्रकार की विलीय प्राप्त करने
 के इच्छिकारी नहीं है। अतः वाद वादीगण
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फाइनल हुआ
 है। नकार के रूप में तथा दफतर
 धारित है।

(M)

उपखण्ड अधिकारी
 सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग